कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/साख–2/एक्सग्रेसिया/2020/3550 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/11/2021

प्रति,

1 संयुक्त पंजीयक.
सहकारी संस्थाएं, (समस्त)

2 प्रबंध संचालक.
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक,/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत सेवायुक्तों को बोनस/एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान के सम्बंध में।

संदर्भ : –

01. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर का पत्र क्रमांक/2629, दिनांक 27.10.2021
02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/438, दिनांक 25.10.2021.
03. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग का पत्र क्र/1196, दिनांक 29.10.2021. (राजनांदगांव बैंक)
04. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर का पत्र क्रमांक/1103, दिनांक 28.10.2021.
05. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग का पत्र क्रमांक/1212, दिनांक 02.11.2021 (दुर्ग बैंक)

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा विभिन्न जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत सेवायुक्तों को वर्ष 2020–21 में संस्था को हुए लाभ में से बोनस/एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान की सहमति बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार्यालय सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश का परिपत्र क्रमांक/अंकेक्षण/4/97/789 भोपाल, दिनांक 08.09.1997 का अवलोकन करें। परिपत्र में सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सेवायुक्तों को बोनस एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान के संबंध में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43 तथा 43(क) के प्रावधानों का विधिवत पालन करने के बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं किन्तु प्रस्ताव के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि बैंकों के प्रस्ताव में अधिनियम के उक्त प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाना दूर्शित नहीं हो रहा है।

सहकारी संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43–क(1)(छ) तथा बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने जिन सेवायुक्तों को बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, उन सेवायुक्तों को तो बोनस एक्ट के अनुसार बोनस देना ही होता है किन्तु जिन सेवायुकतों को बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवायुक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान करने के सम्बंध में सस्था की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लिया जा सकता है। जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के अतर्गत बोनस प्राप्त करने की पात्रता नहीं होती उन्हें एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान करने के पूर्व संस्थाओं द्वारा पंजीयक से स्वीकृति ली जाती रही है। अतएव छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संभागीय संयुक्त पंजीयक के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के तारतम्य में सेवायुक्तों को वर्ष 2020–21 के लाभ में से एक्सग्रेसिया भुगतान हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43–क (1) के (क) से (ठ) तक के अनिवार्य वैधानिक प्रावधान अनुसार वर्ष के सकल लाभ में से कटौती कर, शुध्द लाभ की गणना किये जाने तथा तत्पश्चात् प्राप्त शुध्द लाभ में से धारा 43(2) एवं 43(3) की व्यवस्था अंतर्गत आमसभा द्वारा विभाजन के पश्चात् ही शेष शुध्द लाभ में से कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया दिया जाना विचारणीय होगा।
02. कतिपय बैंक शुध्द लाभों का अधिनियम की धारा 43 अंतर्गत निधियां तथा लाभ के लिए की गई व्यवस्था के तहत समुचित वितरण योग्य लाभ होने के पश्चात भी सदस्यों को पर्याप्त लाभांश वितरण नहीं करती। जहां यह सहकारिता के सिद्धांतों तथा सहकारिता के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है, वहीं सदस्यों को लाभांश न बांटते हुए कर्मचारियों को अनुग्रह राशि वितरण का प्रावधान करना तथा अन्य इसी प्रकार के व्यय के प्रस्ताव करने का औचित्य किसी भी तरह से निरूपित नहीं होता है। बैंक के अंशधारी सदस्यों को वितरण योग्य लाभ में से अधिनियम के प्रावधान अनुसार यथासंभव अधिकतम लाभांश का वितरण किया जाना वांछनीय है।
03. बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो, आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण अंतर्गत प्रावधान में कमी (Shortfall) न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जावे।
04. कुछ बैंकों द्वारा बजट के अन्तर्गत एक्सग्रेशिया (अनुग्रह राशि) का प्रावधान कर लिया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। पूर्व वर्षों में किए गए प्रावधान की राशि एक्सग्रेशिया के रूप में भुगतान हेतु उपलब्ध नहीं होंगी। कंड़िका 1, 2 तथा 3 के पालन उपरान्त ही वर्ष के शेष शुध्द लाभ में से एक्सग्रेसिया हेतु राशि उपलब्ध हो सकती है।
05. बैंक द्वारा अधिनियम/नियम/पनियमों, पंजीयक के निर्देश तथा भारतीय रिजर्व/नाबार्ड द्वारा निर्देशों के तारतम्य में वित्तीय पत्रकों में समुचित प्रावधान किए जाने के

पश्चात उक्त प्रावधानों यथा Statutuary Fund, Qquity Redemption Fund, Agiculture Credit Stablisation Fund, तथा Bad and Doubtfull reseve आदि में समुचित प्रावधान के पालन की दशा में सेवायुक्तों को वितरण योग्य शेष शुध्द लाभ की राशि में से एक्सग्रेसिया भुगतान की जा सकेगी। किन्तु भुगतान की जाने वाली राशि किसी भी दशा में बैंक द्वारा अंशधारी सदस्यों को वितरित लाभांश से अधिक नहीं होगी।

06. यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि लाभ में चल रही संस्था द्वारा पंजीयक की स्वीकृति के बगैर एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान किया जाना तथा अधिनियम के उक्त प्रावधानों को पालन किए बगैर एक्सग्रेसिया भुगतान किया जाना नियमानुसार नहीं है। उक्त प्रावधानों के पालन के बगैर भुगतान अनाधिकृत भुगतान माने जाकर भुगतान का निर्णय लेने वाले संचालक मण्डल/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
07. एक्सग्रेसिया बाबत उक्त दिशा–निर्देश से संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षकों को भी अवगत कराया जाए ताकि वे इन निर्देशों के पालन बाबत अभिमत, अंकेक्षण टीप में स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित कर सकें।
08. कृपया उपरोक्त निर्देश से संबंधित संस्था के संचालक मण्डल को भी अवगत कराने की व्यवस्था करें।

अतः बैंक के प्रबंध संचालक,ध्मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए एक्सग्रेसिया वितरण की कार्यवाही किया जाए।

सही

(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ,

पृ.क्र./साख–2/एक्सग्रेसिया/2021/3350 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ